A 6
1

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्री अयूब खान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 359 / 2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. बंशीलाल पुत्र नेनाराम, जाति माली, निवासी सोजत सिटी, तह0 सोजत जिला पाली राज0 | | 1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली |

**राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थितिः–

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता मय प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 18.02.2019

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में खसरा नम्बर 4745 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 4746 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 4789 रकबा 0.0300 है0 कुल किता खसरा 03 कुल रकबा 0.1700 है0 खसराजत की स्थित है। उक्त आराजी के खातेदार शंकरलाल पुत्र लिछमण, गणपतलाल पुत्र अमनाराम 5 ब0हि0ब0 वंशीलाल पुत्र नेनाराम (प्रार्थी स्वयं), मिश्रीलाल, सोहनलाल पिसरान पुना ब0हि0ब0, गोरधन पुत्र केराराम, तुलसीराम पुत्र वोरा 1 कौम माली के नाम से वर्तमान रेकर्ड के अनुसार दर्ज चला आ रहा है। उक्त आराजी के गत खसरा नम्बर, खसरा मिलान के अनुसार 301 है, जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार खातेदार शंकर पुत्र लिछमण, चुतरा बेटा अन्ना 5 हिस्सा, पुना, नेना बेटा भुरा 2 हिस्सा व भोरिया बेटा उमा, वोरिया बेटा किसना एक हिस्सा अनुसार दर्ज सुदा है। उसी अनुसार उक्त खातेदारान का नाम खसरा मिलान में इन्द्राज सुदा है, जो सही है। लेकिन उसके बाद बनी जमाबंदी सम्वत् 2042 से 2045 में शंकरराम पुत्र लिछमण, चुतरा पुत्र अन्ना 5 हिस्सा, पुना, नेना पीसरान भूरा ब0हि0ब0, भोरा पुत्र उमा, वोरा पुत्र किसना एक हिस्सा अनुसार दर्ज कर दिया गया। जबकि पुना, नेना पिता भूरा का हिस्सा के आगे 2 शब्द लिखने से सहवन से भूलवश रह गया है। उक्त हिस्सा शब्द 2 तत्कालीन

19/2/19

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

Pr6/2

पटवारी हल्का से भूल हो जाने से उसके बाद बनी लगातार जमाबंदियों में भी सहवन से दर्ज होने से रह गया है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में बंशीलाल पुत्र नेनाराम, मिश्रीलाल, मोहनलाल पि0 पुनाराम के आगे 2 ब0हि0ब0 दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरस्ती का पेश किया है। सैटलमेंट के बाद बनी जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 में सहवन से हिस्सा 2 शब्द भूलवश लिखने से रह गया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 4745 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 4746 रकबा 0.1100 है0, खसरा नम्बर 4789 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 03 रकबा 0.1700 है0 गै0मु0 बेरा व सड़ा की भूमि में खातेदार शंकरराम पुत्र लिछमण, गणपतलाल पुत्र अनाराम 5 ब0हि0ब0, बंशीलाल पुत्र नेनाराम, मिश्रीलाल, मोहनलाल पीसरान पुना 2 ब0हि0ब0 एवं गोरधन पुत्र केराराम, तुलसीराम पुत्र वोराराम 1 कौम माली सा0देह खातेदार के नाम से दर्ज कर रेकर्ड दुरस्त करने की ईश्तदुआ की है। इस प्रकार राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने प्रा0 पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 4745, 4746, 4789 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.1700 है0 प्रार्थी बंशीलाल व अन्य खातेदारान के नाम की सोजत चक प्रथम में अवश्य स्थित है। उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार शंकरलाल पुत्र लिछमण, गणपत पुत्र अन्नाराम 5 बहिस्सा बराबर बंशीलाल पुत्र नेनाराम, मिश्रीलाल, सोहनलाल पिसरान पुनाराम ब0हि0ब0, गोरधन पुत्र केराराम, तुलसीराम पुत्र वोरा 1 कौम माली के नाम दर्ज सुदा है। यह सही है कि गत खसरा संख्या 301 खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 4745, 4746, 4789 बने है। जमावंदी सम्वत 2022 से 2025 के अनुसार खातेदार शंकर पुत्र लिछमण, चुतरा बेटा अना 5 हिस्सा, पुना, नेना, बेटा भूरा 2 हिस्सा अनुसार दर्ज है, जो सही है। लेकिन जमावंदी सम्वत 2042 से 2045 में पुना, नेना बेटा भूरा हिस्सा के आगे 2 शब्द भूल वश लिखने से रह गया है, जो रेकर्ड दुरूस्थ किया जाना कानूनन आवश्यक हैं। इस प्रकार तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत ने जवाब पेश कर उक्त रेकर्ड दुरूस्त करने की अनुशंषा/सहमति व्यक्त की है।

बहस प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी के दौरान व्यक्त किया है कि गत खसरा संख्या 301 खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 4745, 4746, 4789 बने है। जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 के अनुसार खातेदार शंकर पुत्र लिछमण, चुतरा बेटा अना 5 हिस्सा, पुना, नेना, बेटा भूरा 2 हिस्सा अनुसार दर्ज है, जो सही है। लेकिन जमावंदी सम्वत 2042 से 2045 में पुना, नेना बेटा भूरा हिस्सा के आगे 2 शब्द भूल वश लिखने से रह गया है, जो रेकर्ड दुरूस्थ किया जाना कानूनन आवश्यक हैं। किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2042–2045 तैयारी के समय शंकरराम पुत्र लिछमण, चुतरा पुत्र उमा, 5 ब0हि0ब0 वोरा पुत्र उमा, वोरा पुत्र

18/11/2019

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

A-6
3

किशना, कौम माली, सा0 देह खातेदार दर्ज सुदा है, जो गलत है, अर्थात् पूना, नैना पि0 भूरा के आगे 2 शब्द दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत (भूमि धारक) ने बहस जवाब में उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने तथा रेकर्ड में दुरूस्ती करने की अनुशंषा/सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र, जबाब प्रा0 पत्र तहसीलदार, सोजत मय दस्तावेजात एवं अभिशंषा रिपोर्ट आदि एवं बहस अभिभाषक तहसीलदार, सोजत पर भी गौर कर मनन किया गया। उक्त विवादग्रस्त भूमि के गत खसरा संख्या 301 खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 4745, 4746, 4789 बने है। जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 के अनुसार खातेदार शंकर पुत्र लिछमण, चुतरा बेटा अना 5 हिस्सा, पुना, नेना, बेटा भूरा 2 हिस्सा अनुसार दर्ज है, जो सही है। लेकिन जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 में पुना, नेना बेटा भूरा हिस्सा के आगे 2 शब्द भूल वश लिखने से रह गये है, जो रेकर्ड दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक हैं। किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2042–2045 तैयारी के समय शंकरराम पुत्र लिछमण, चुतरा पुत्र उमा, 5 ब0हि0ब0 पूना नेना पि0 भूरा (के आगे 2 हिस्सा दर्ज करना भूल वश रह गया) ब0हि0ब0 बोरा पुत्र उमा, वोरा पुत्र किशना, कौम माली, सा0 देह खातेदार दर्ज सुदा है, जो गलत है, अर्थात् पूना, नैना पि0 भूरा के आगे 2 शब्द दर्ज कर दर्ज कर रिकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की व तहसीलदार, सोजत ने भी स्वीकारोक्ति/सहमति किये जाने से उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

**–:आदेश:–**

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा–सोजत चक 1 में स्थित कृषि भूमि ख0न0 4745, 4746, 4789 कुल किता 03 रकबा 0.1700 है0 गै0मु0 बेरा सड़ा व रास्ता की भूमि के गत खसरा संख्या 301 खसरा मिलान के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 4745, 4746, 4789 बने है। जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 के अनुसार खातेदार शंकर पुत्र लिछमण, चुतरा बेटा अना 5 हिस्सा, पुना, नेना, बेटा भूरा 2 हिस्सा अनुसार दर्ज है, जो सही है। लेकिन जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 में पुना, नेना बेटा भूरा हिस्सा के आगे 2 शब्द भूल वश लिखने से रह गये है, जो रेकर्ड दुरूस्थ किया जाना कानूनन आवश्यक हैं। किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2042–2045 तैयारी के समय शंकरराम पुत्र लिछमण, चुतरा पुत्र उमा, 5 ब0हि0ब0 बोरा पुत्र उमा, वोरा पुत्र किशना, कौम माली, सा0 देह खातेदार दर्ज सुदा है, जो गलत है। अतः उक्त सहवन/सदभाविक भूलवश दर्ज त्रुटि अर्थात् पूना, नैना पि0 भूरा के आगे वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक व सही रूप से 2 शब्द अंकित कर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय की प्रमाणित छाया प्रति भेजकर पालना भिजवाने हेतु

[signature] 15/4/2015

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को सरे ईजलाश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner